



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
विद्युत वितरण खण्ड-शाहाबाद
E-mail : eddshahabad.hardos@gmail.com

पत्रांक 0489/वि0वि0ख0शा0हा0/पी0एफ0 /दिनांक 8/9/23

विषय : आवेदक/भावी उपभोक्ता द्वारा विद्युत संयोजन की माँग हेतु प्रस्तुत आवेदन पर विद्युत भार स्वीकृत की कार्यवाही हेतु तकनीकी आख्या एवं प्राकलन प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।

उपखण्ड अधिकारी

विद्युत वितरण उपखण्ड-प्रथम (शाहाबाद)/द्वितीय (पिहानी)/तृतीय (सवावजपुर)।

प्राकलन तीन कार्य दिवस में प्रस्तुत करें।

आपको सूचित करना है कि इस खण्ड कार्यालय में निम्नलिखित भावी उपभोक्ता द्वारा विद्युत संयोजन की माँग हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन पर विद्युत भार की स्वीकृति की कार्यवाही की जानी है। आवेदक/आवेदकों का विवरण निम्नवत् है-

आवेदन क्रमांक (P1)	2023-24	760
आनलाइन आवेदन क्रमांक	1008321068	
आवेदक का नाम	श्रीमती शान्ती देवी उर्फ ममता देवी	
आवेदक का पता	पत्नी श्री सर्वेश कुमार नि0 ग्राम जलपापुर पी0 अनगपुर तह0 शाहाबाद, हरदोई।	
विकास खण्ड	भरखनी	
मोबाइल नम्बर	8299811560	
प्रयोजन	निजी कृषि कार्य हेतु	
जहाँ संयोजन की अपेक्षा है	गाटा संख्या 399 ग्राम जलपापुर	
उपखण्ड का नाम	Anagpur	
आवेदित भार	8 HP	
प्रकमाण शुल्क धनराशि	100.00	
रसीद संख्या	YHD42068027592	
दिनांक	06.09.2023	

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आवेदक से उनके मोबाइल नम्बर से सम्पर्क स्थापित कर वांछित विद्युत प्रयोजन हेतु विद्युत भार स्वीकृति की कार्यवाही खण्ड स्तर से किये जाने हेतु स्वस्थीय निरीक्षण कराकर निम्न बिन्दुओं पर तकनीकी आख्या एवं प्राकलन 03 प्रतिशत में **तीन कार्यदिवस** में प्रस्तुत करें, जिससे कि भार स्वीकृत की कार्यवाही की जा सके अन्यथा यह समझा जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहना है तथा भार स्वीकृति की अधिम कार्यवाही कर दी जायेगी जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

- परिसर बहुमतीय है अथवा नहीं ?
- परिसर पर पूर्व में कोई संयोजन था अथवा नहीं यदि था तो कनेक्शन संख्या ?
- परिसर पर कोई बकाया है अथवा नहीं ?
- प्रवर्तन दल/विभागीय जांच हुई थी अथवा नहीं ?
- घावर परिवर्तक वर्तमान में संचालित भार ?
- 1: 1: 0:0 पी0 पोषक पर संयोजित भार ?
- वितरण परिदातक की मरिदा ?
- निकटतम एच0 टी0 / एल0 टी0 लाइन से परिसर की दूरी ?
- परिसर की फोटो/कोऑर्डिनेट्स।
- यदि किसी दूसरे के खेत से लाइन गुजर रही है तो ऐसी स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र अतिआवश्यक है अन्यथा की स्थिति में पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अवर अभियन्ता का होगा।

पत्रांक 02/ 10489/वि0वि0ख0शा0हा0/पी0एफ0 /दिनांक 8/9/23

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1 अवर अभियन्ता 33/11 कें0पी0 विद्युत उपखण्ड Anagpur

2 श्रीमती शान्ती देवी उर्फ ममता देवी

पत्नी श्री सर्वेश कुमार नि0 ग्राम जलपापुर पी0 अनगपुर तह0 शाहाबाद, हरदोई।

को आपके आवेदन पत्र को सन्दर्भ में इस अनुरोध से प्रेषित कि सम्बन्धित अवर अभियन्ता से सम्पर्क करे तथा संयोजन निर्गत किये जाने सम्बन्धित अधिम कार्यवाही हेतु वांछित जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

अधिशासी अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता